2019/00012

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 17/2019

उनवान

सुंसाराम पत्र भानाराम जाति कुम्हार निवासी शिवसिंहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गुल्लाराम पुत्र धीसाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र धीसाराम
3. कानाराम पुत्र दीपाराम
4. मुरलीधर पुत्र जानकीलाल
5. राजू पुत्र मुरलीधर
6. दिनेश पुत्र मुरलीधर
7. मुकेश पुत्र गुल्लाराम
8. हरिराम पुत्र गुल्लाराम
9. रिछपाल पुत्र दीपाराम

समस्त जाति जाट नि. शिवसिंहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर। प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी ए-1955</u>

निर्णय दिनांक: 26-7-2021

दावा संक्षेप मे यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1025/0.84, 1026/0.61, 1027/0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है जोकि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि वादी के खातेदारी अधिकार कब्जे हक अधिकार की भूमि रही है जिस पर वादी अपने परिवारजनों के समय से ही काबिज रहकर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करते हुये काश्त करता हुआ चला आ रहा है वादी अपने खातेदारी हक अधिकारो के तहत अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है एवं वर्तमान मे भी काबिज काश्त है। वर्णित विवादित आराजीयात की भूमि वादी की पुश्तैनी सम्पति रही है जिस पर वादी अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला हुआ आ रहा है और वर्तमान मे वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध या वास्ता नही है और ना ही अन्य व्यक्ति का इस आराजी पर कब्जा काश्त रहा है बल्कि उक्त आराजी पर वादी शुरू से ही अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी एक गरीब व कमजोर व्यक्ति है, जिसके चलते प्रतिवादीगण वादी की कब्जे अधिकार की भूमि पर जबरन लठ के जोर से कब्जा करना चाहते है प्रतिवादीगण आराजी को लेकर वादी से रंजिस रखते है और प्रतिवादीगण ने वादी के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना रखा है और वादी को उसके कब्जे हक अधिकार की आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी के कब्जे काश्त व उसके उपयोग उपभोग से महरूम करना चाहते है। वादी अपने कब्जेशुदा खातेदारी अधिकार की आराजी पर दिनांक 20.06.2019 को बुवाई जुताई करवा रहा था, उसी समय प्रतिवादीगण एक राय होकर हाथो मे लाठी फरसी, फावड़े इत्यादि लेकर जोर जोर से गाली गलौच करते हुये वादी के हक अधिकार की आराजी पर जबरन आ धमके तथा वादी के साथ गाली गलौचकर मारपीट करने को अमादा हो गये और वादी की खातेदारी हक अधिकार व कब्जेशुदा आराजी पर जबरन कब्जा करने पर अमादा हो गये, जब वादी ने विरोध किया जो प्रतिवादीगण ओर अधिक कोधित हो गये और वादी को आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर अमादा हो गये, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुये हाल हल्ला सुनकर आस पास के लोगो ने वादी का उस समय तो बीच बचाव करवा दिया गया, लेकिन प्रतिवादीगण जाते जाते वादी को एलानियां धमकी देकर गये है कि हम फिर से एक राय होकर पुरी ताकत के साथ मौका ताड़कर आयेगे और तुम्हारे हक अधिकार व कब्जेशुदा आराजी से तुम्हे जबरन लठ के जोर से बेदखल कर स्वयं कब्जा कर लेगे और तुम्हे परिवार सहित जान से खत्म कर आराजी पर कब्जा कर इसका बेचान दीगर व्यक्तियों को कर देगे। प्रतिवादीगण बहुसंख्य ताकतवर बाहुबली धनवान व्यक्ति है जो कि अपनी राजनैतिक पहुच व अपनी खूंखार प्रकृति के चलते वादी व उसके परिवारजनों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते है और वादी को अपने हक अधिकार व कब्जेशुदा आराजी से जबरन लठ के जोर पर बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर अमादा है। अगर प्रतिवादीगण अपने इन नाजायज मंसूबो मे सफल हो जाते है तो वादी को अपने खातेदारी हक अधिकारो व कब्जेशुदा आराजी से महरूम होना पड़ेगा व कानूनी अधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार की धनराशि से संभव नहीं हो सकेगी तथा वादी को अनावश्यक अनेक मुकदमे बाजी मे फसना पड़ेगा इस कारण दावा करना आवश्यक हुआ ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

2013/000/2

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया। वकील वादी ने प्राथपत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने प्रा0पत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का जवाब पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी पर वकील उभयपक्षो को सुना गया। वकील वादी ने अपने प्राथपत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के संबंध में निवेदन किया कि आ.ख.नं. 1025/0.84, 1026/0.61, 1027/0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर वादी की खातेदारी भूमि है और वकील प्रतिवादी ने भी अपने जवाबदावे में उक्त प्रश्नगत आराजीयात पर वादी का ही खातेदारी हक स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में विवाद का कोई बिन्दू शेष नहीं रहा है वकील प्रतिवादी ने मात्र अपने जवाबदावे में सीमा को लेकर विवाद होना ही बताया है। अतः सीमा विवाद के लिए नियमानुसार सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाकर वादी का वाद डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादी ने प्राथपत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के संबंध मे निवेदन किया कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जो तकनीयात कायम करने के बाद ही निर्णित किया जाना है। सीमा विवाद के लिए अलग से अन्य अनुतोष वाले कानून मे जाये और अपना अनुतोष प्राप्त करे तथा प्रार्थी का प्राथपत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी खारिज फरमाये जाने हेतू निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया । वादी की खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 1025/0.84, 1026/0.61, 1027/0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात वादी के नाम दर्ज है जिसमे वादी अपने परिवारजनों के साथ रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वकील प्रतिवादीगण ने भी उक्त आराजीयात के संबंध में भी कोई काउन्टर क्लेम पेश नही किया गया है। पक्षकारान के मध्य मात्र सीमा/डोल को लेकर विवाद है।

अतः वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाता है। आ.ख.नं. 1025/0.84, 1026/0.61, 1027/0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार की दखलान्दाजी पैदा ना करे और वादी को शान्तिपूर्वक काबिज रह कर काश्त करने देवे। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने सीमा विवाद के संबंध में सक्षम न्यायालय से सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-7-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन)

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर

शाहपुरा (जिला-जयपुर)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 17/2019

उनवान

सुंसाराम पत्र भानाराम जाति कुम्हार निवासी शिवसिंहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गुल्लाराम पुत्र घीसाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र घीसाराम
3. कानाराम पुत्र दीपाराम
4. मुरलीधर पुत्र जानकीलाल
5. राजू पुत्र मुरलीधर
6. दिनेश पुत्र मुरलीधर
7. मुकेश पुत्र गुल्लाराम
8. हरिराम पुत्र गुल्लाराम
9. रिछपाल पुत्र दीपाराम

समस्त जाति जाट नि. शिवसिंहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी ए–1955

अतः वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाता है। आ.ख.नं. 1025/0.84, 1026/0.61, 1027/0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार की दखलान्दाजी पैदा ना करे और वादी को शान्तिपूर्वक काबिज रह कर काश्त करने देवे। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने सीमा विवाद के संबंध में सक्षम न्यायालय में सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-7-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

(न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.)

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला जयपुर

(सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner